

भीम



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी ३/१, राजस्थान रेडीडेंचरी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(4)()स्था / सान्याअवि / 21/1982-7 जयपुर, दिनांक:- 28.12.2021

कार्यालय आदेश

ख. श्री क.हैया लाल, वरिष्ठ साहायक, कार्यालय राहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर के पुत्र श्री सुनील कुमार, जिनकी जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा 2010 की अंकतालिका के आधार पर 01.07.1995 (एक जुलाई उन्नीस सौ पिच्छानवें) होने से इनकी आयु 26 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है, को राजस्थान मृत रारकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुक्रमपात्रक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन शृंखला पे मैट्रिक्स के पे लेवल-1 में पदभार सम्मालने की तिथि से अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त कर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकर-प्रथम, जिला सीकर में पदस्थापित किया जाता है:

1. राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम में इन्हें परिवीक्षाधीन अवधि में 12400/- रुपये (अक्षरे रुपये बारह हजार चार सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह स्थिर वेतन दिया जायेगा। इनके द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर किए जाने पर पे मैट्रिक्स लेवल साख्या 1 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
2. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा यह प्रतीत होने पर, कि इनमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1996 के नियमों के अनुसार दक्ष कार्मिक होने की क्षमता नहीं है, तो नियमानुसार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त किया जा सकेगा।
3. आदेश जारी होने के 15 दिवस भीतर अपने पद का कार्यभार सम्मालना होगा। किसी कारणवश उक्त अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि कब तक कार्यगार संभाल लेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं समालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश गिरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे अर्थात् परिवीक्षा काल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होंगे।
6. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6(6) एफडी/नियम/2005 दिनांक 13.03.06 के तहत मेडिक्लेम बीमा का लाभ दिया जायेगा।
7. इनके स्थिर वेतन में से राजकीय बीमा एवं प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जायेगी।
8. वित्त विभाग के मोमोरेण्डम क्रमांक एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य

भीम



आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवालाभ देय होंगे।

9. इनकी नियुक्ति पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक / क-2/95 दिनांक 20.06.2001 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
10. विवाहित होने के स्थिति में कार्य ग्रहण के समय विवाह पंजीयन/बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र का शपथ पत्र नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
11. पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग को होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबंधित को 10 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. स्वारक्ष्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नहीं किये हैं, नियुक्ति के पन्द्रह दिवार में अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य अधिकारी से स्वारक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
13. अपने मूल दस्तावेज लेकर अपनी उपरिथित कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर में प्रस्तुत करेंगे। सहायक निदेशक, सान्याअवि, सीकर इनका दस्तावेज सत्यापन करने के उपरान्त इन्हे पदस्थापित स्थान पर उपरिथित देने हेतु निर्देशित करेंगे तथा इनकी उपरिथित रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र भिजवायेंगे।

३७
२८/८/२०२१
(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव १२

क्रमांक एफ.1(4)()स्था/सान्याअवि/21/19828-38 जयपुर दिनांक 28.12.2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सीकर।
6. निजी सहायक, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, आईटी, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर।
9. श्री सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री कर्हैया लाल, ढाणी घूड़ोली, पोरस्ट खाखोली, तहसील सीकर, जिला सीकर।
10. व्यक्तिगत पत्रावली श्री सुनील कुमार।
11. कार्यालय पत्रावली।

८
(उमेद सिंह)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)